

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(126)एमई/ग्रुप-1/78 पार्ट

जयपुर, दिनांक :

10 MAR 2017

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ. रामलखन मीना, जिनकी जन्म तिथि 01-7-1975, मेरिट क्रमांक एम-02 एवं वर्ग-अनुसूचित जनजाति है, को सहायक आचार्य, ई.एन.टी. के पद (रिविक्त वर्ष 2015-16) पर वेतन श्रृंखला पी.बी.-3, 15600-39100 (ग्रेड पे रू. 6600/-) में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 03-7-2014 के अन्तर्गत अस्थाई रूप से एक वर्ष के परिवीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं। डॉ. मीना पूर्व से नियमित रूप से राज्य सेवा में कार्यरत है। अतः इनके वेतन-भत्ते वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13-3-2006 के अनुसार देय होंगे।

इस नियुक्ति पर इनका पदस्थापन मेडिकल कालेज, कोटा में सहायक आचार्य, ई.एन.टी. के पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पद पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक प. 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.3004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थिति प्रस्तुत करनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन है।


आदेश से,


10/3/17
(भगवत सिंह)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प. 7(02)भर्ती/गोपनीय/2016-17/447 दिनांक 24.01.2017 के सन्दर्भ में।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कोटा।
6. डॉ. रामलखन मीना, 15/2, मालवीय नगर, जयपुर (राज.)-302017 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


10/3/17
(महेश व्यास)

सहायक शासन सचिव

